उत्तराखण्ड शासन

राज्य योजना आयोग

संख्या 1241/रा0ओ0या0/बा0मु0/2009

देहरादून : दिनांक 06 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का बाहय संस्थाओं से शासन स्तर पर, evaluation, impact assessment and performance audit कराये जाने के निर्णय पर मूल्यांकन अध्ययनों का चयन, परीक्षण एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अध्ययन रिर्पोट पर कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति सम्बन्धित शासनादेश सं0 851/रा0यो0आ0/बा0मु0/2009 दिनांक 15 जुलाई, 2011 को गति प्रदान करने हेतु "मूल्यांकन अध्ययन समिति" के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अथवा प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, में से जो भी वरिष्ठ हों, समिति के अध्यक्ष होगें।

उक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय नियोजन मंत्री को माननीय नियोजन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन को माननीय उपाध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
5. समस्त नामित सदस्य, मूल्यांकन अध्ययन समिति, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(इन्दुधर बौडाई)
अपर सचिव, नियोजन

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
राज्य योजना आयोग
संख्या 120/रा0ओ0या0/बा0मु0/2009
देहरादून : दिनांक 18 मई 2009

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा बाहय सहायतित/केन्द्र पोषित एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का बाहय संस्थाओं से evaluation, impact assessment and performance audit कराये जाने का निर्णय लिया गया है। मूल्यांकन अध्ययनों का चयन, परीक्षण एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अध्ययन रिर्पोट पर कार्यवाही हेतु "मूल्यांकन अध्ययन समिति" का गठन निम्नवत किया जाता है।

1.	प्रमुख सचिव, वित्त	अध्यक्ष
2.	सचिव, नियोजन	सदस्य
3.	अपर सचिव, नियोजन	सदस्य/संयोजक
4.	अपर सचिव, वित्त (सम्बन्धित विभाग के व्यय नियंत्रक अधिकारी)	सदस्य

समिति का सचिवालय राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभाग होगा।

समिति को प्रदेश में संचालित/क्रियान्वित किसी भी योजना, कार्यक्रम एवं परियोजना के मूल्यांकन अध्ययन कराये जाने का अधिकार होगा तथा सन्दर्भित अध्ययनों के सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव प्राप्त होगें उन पर समिति निर्णय करेगी।

समिति द्वारा चयनित मूल्यांकन अध्ययनों पर empanelled बाहय संस्थाओं से अध्ययन कार्य कराये जाने का कार्य राज्य योजना आयोग द्वारा किया जायेगा।

मूल्यांकन अध्ययन हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग मूल्यांकन अध्ययन समिति, राज्य योजना आयोग तथा चयनित बाहय संस्था को क्षेत्रकार्य एवं वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

12/5/09

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव

Scanned with CamSca